न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 37 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 101

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
मुमताज पुत्र अहमद जाति व्यापारी निवासी लाल कुआ मस्जिद के पास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. तहसीलदार डीडवाना 2. हल्का पटवारी, डीडवाना 3. प्रियंका रानी पुत्री सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी पदमानिया बास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।

उपस्थितः–

1. श्री सैययद अलताफ हुसैन वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. तहसीलदार डीडवाना रेस्पोडेन्ट सं0 01

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार डीडवाना दिनांक 10.04.2019 मुकदमा नम्बर 07 / 2018–19 बअनुवान हल्का पटवारी बनाम मुमताज अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में अपीलार्थी को बेदखल के आदेश पारित किये।

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.05.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर खसरा नम्बर 2680 किस्त गै0मु0 शमशान रकबा 12 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि पर से बेदखल करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर ये अपील निम्न आधारों पर पेश हैः–

–:अपील के आधारः–

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2019 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक डीडवाना की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 में खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान की [illegible] लत रूप से 01 बिस्वा पर पक्का मकान बनाकर [illegible] पटवारी व आर.आई. डीडवाना द्वारा खसरा नम्बर 2680 रकबा [illegible] बिस्वा भूमि गै0मु0 शमशान का मुस्तकिल पोईन्ट से कोई नाप नहीं [illegible] और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट हल्का पटवारी व आर.आई. से पत्रावली में [illegible] की हैं। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा अपीलार्थी को किस आधार पर खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 की भूमि में अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई, ऐसा कोई आधार पत्रावली पर नहीं हैं। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भी वादग्रस्त भूमि के सम्बंध मे मुस्तकिल बिन्दु से कोई वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई इस प्रकार अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं होने के बावजुद अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

3. खेत खसरा नम्बर 2679 व 2681 कुल रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा की भूमि के 1/2 खातेदार बसन्त कुमार मुंघडा पुत्र मोहनलाल मुंघडा निवासी भदलिया द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की 1/2 भूमि में प्लाट काटे गये थे। खसरा नम्बर 2679 व 2681 की भूमि के 1/2 खातेदारी बसन्त कुमार मुंघडा के आम मुख्त्यार सत्यनारायण भराणी पुत्र श्रीनिवास भराणी द्वारा उक्त खातेदारी की भूमि में किये गये प्लॉटस का जरिये ईकरारनामा बैचाण किये थे। जिनमें से प्लाट 11 व 12 बैचाण सत्यनारायण भराणी द्वारा श्रीमति हुस्न बानो को दिनांक 09.07.1997 को किया गया तथा प्लॉटस का भैतिक एवं वास्तविक कब्जा क्रेता मो. युसुफ व मो. आरिफ पुत्र मो. युसुफ को दिनांक 20.02.1999 व मो. युसुफ व मो. आरिफ द्वारा उक्त प्लॉट्स को बलेकश बानो पत्नी अ0 कलाम को दिनांक 19.09.2005 को बैचाण किया तथा अपीलार्थी ने अ0 कलाम से दिनांक 10.03.2008 को जरिये ईकरारनामा उक्त भूखण्ड खरीद कर मेहनत मजदुरी करने अपने व अपने परिवार वालों के सिर छुपाने हेतु मकान निर्माण करवाया तथा सन् 2008 से अपीलार्थी अपने खरीद सुदा कब्जा सुदा खसरा नम्बर 2679 व 2681 की भूमि में मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं। अपीलार्थी की खरीद रहवासी कब्जा सुदा भूमि का खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान का भाग कभी नहीं रही, ना ही अपीलार्थी का गै0मु0 शमशान की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा ना ही अपीलार्थी का रहवासी कब्जा सुदा मकान भूमि खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान की परिधि मे आती हैं। हल्का पटवारी व आर.आई. ने मनमाने रूप से बिना जांच, पड़ताल, सीमाज्ञान, मुस्तकिल बिन्दु से नाप किये बिना अपीलार्थी के विरूध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की हैं जो अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4. अपीलार्थी मजदुर पेशा व्यक्ति हैं तथा मेहनत मजदुरी करके एक एक रूपये जोड़कर अपने व अपने परिवार के रहवास हेतु भूमि खरीद कर मकान बनाया हैं। अपीलार्थी के परिवार के सदस्य उक्त मकान में निवास करते हैं। अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2679 व 2681 [illegible] रही हैं तथा उसी की भूमि में से अपीलार्थी ने प्रतिफल की राशि [illegible] खरीद कर अपना रहवासी मकान निर्मित करवाया। हल्का पटवारी व आर.आई. ने पूर्णरूप से झुठी कागजी कार्यवाही कर अपीलार्थी का रहवासी मकान गलत रूप से खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान की भूमि में दर्शाकर धारा 91 एल.आर. एक्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कार्यवाही की हैं जो विधि विरूद्ध होने से आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

5. पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 प्रियका रानी की शिकायत पर हल्का पटवारी, आर. आई. की टीम खसरा नम्बर 2680 के नाप चौक व सीमाज्ञान हेतु मौके पर गई थी। परन्तु उक्त शमशान भूमि के आस पास सघन आबादी बसने के कारण मौके पर खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान का नाप चौक सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता हैं, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इस प्रकार हल्का पटवारी व आर.आई. की टीम द्वारा पूर्व में उक्त प्रकार रिपोर्ट देने के बावजुद बिना किसी मुस्तकील बिन्दु से नाप चौक सीमाज्ञान करवाये। अपीलार्थी को किस आधार पर खसरा नम्बर 2680 गै0मु0 शमशान की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार मौका रिपोर्ट के अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत उसके रहवासी जमीन व मकान से बेदखली का आदेश पारित का दिये। उक्त आदेश दिनांक 10.04.2019 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रकरण संख्या 07 / 2018–19 बअनुवान हल्का पटवारी बनाम मुमताज में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं तर्को पर मनन किया। प्रार्थी के विरूद्ध आराजी नं0 2680 रकबा 12 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 में अतिक्रमित भूमि के कोई पडौस नहीं दर्शाये गये है। शमशान के शेष भूमि की स्थिति क्या है। मुस्तकिल पोईन्ट कहां से लिये गये यह भी स्पष्ट नहीं है। मौका पर्चा में न तो प्रार्थीगण जिनके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित की के हस्ताक्षर करवाये एवं न ही किसी अन्य गवाह के हस्ताक्षर है।

दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ पूर्व में दिनांक 13.12.2017 को एक रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत की जिसमें आराजी नं0 2680 एंव इसके आस–पास स्थान पर पूर्णतया आबादी विकसित होने के कारण जरीब चलाना संभव नहीं होना बताया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 17.12.2018 के पश्चात अप्रार्थी की [illegible] के आधार पर निर्णय पारित किया गया। अधिवक्ता आर्थी उपस्थित थे [illegible] नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

91 के तहत अतिक्रमण को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये गये।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मुकदमा नं0 07/2018–19 उनवान पटवारी हल्का डीडवाना बनाम मुमताज में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः मौका पर्चा बनाकर उन्हे पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.05.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

20/5/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:41 IST
Reason: SelfAttested